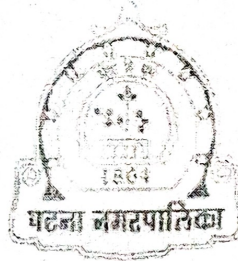


पटना नगर निगम

پٹنہ میونسپل کارپوریشن

PATNA MUNICIPAL CORPORATION



CITY OF PATNA

Letter No. / पत्रांक: 6135

Date / दिनांक: 18/03/2024

संचिका सं०— P/JAKARIYAPUR/PCN-1B+G+6/231/2023
(ऑटो गैप सं०—PMC-BPAS-02111/2023/BP)

सेवा में,

M/S AWADH DEVELOPERS

PARTNER-SRI MADAN MURARI SINGH

S/O-LATE AWADH BIHARI SINGH,

ADD.- RAM KRISHNA PATH, NORTH S.K.PURI,

THANA-KRISHNAPURI, P.O.-PATLIPUTRA, PATNA.

विषय :- प्लॉन केरा सं०—P/JAKARIYAPUR/PCN-1B+G+6/231/2023 ऑटो गैप आवेदन संख्या—
PMC-BPAS-02111/2023/BP की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन संख्या— P/JAKARIYAPUR/PCN-1B+G+6/231/2023 ऑटो गैप आवेदन संख्या—
PMC-BPAS-02111/2023/BP के संदर्भ में **M/S AWADH DEVELOPERS**, PARTNER-SRI MADAN MURARI
SINGH, S/O-LATE AWADH BIHARI SINGH, ADD.- RAM KRISHNA PATH, NORTH S.K.PURI, THANA-
KRISHNAPURI, P.O.-PATLIPUTRA, PATNA., पटना के लिए भवन निर्माण के लिए पटना नगर निगम/बिहार
शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/आयोजना
प्राधिकार/आयोजना स्कीम के एस प्लॉट सं०—380, 399 & 400, थाना सं०—15, खाता सं०—41, तौजी
सं०—434, मौजा—JAKARIYAPUR, पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्बंधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति
प्रदान की जाती है।

- (क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से व्यवसायिक—राह—आवारीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोग को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- (ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- (ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 1293.08 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 60.00 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
- (ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- (च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों को (अतिरिक्त भू—पट्टी 170.21 वर्ग मीटर) चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।
- (छ) भवन उपविधि के कंडिका-09 के तहत नक्शा निर्गत करने में विलम्ब की पूरी जिम्मेवारी आवेदक/आर्किटेक्ट/बिल्डर की होगी।

Permission granted under section-9 of building bye laws shall remain valid up to five years from the date such a permission is granted.

M/s AWADH DEVELOPERS

PARTNER

पटना नगर निगम

PATNA MUNICIPAL CORPORATION



CITY OF PATNA

Letter No. / पत्रांक: 6136

Date दिनांक: 18/03/2024

संयिका सं०— P/JAKARIYAPUR/PCN-1B+G+6/231/2023
(ऑटो गैप सं०—PMC-BPAS-02111/2023/8P)

सेवा में,

1. **M/S AWADH DEVELOPERS**
PARTNER-SRI MADAN MURARI SINGH
S/O-LATE AWADH BIHARI SINGH,
ADD.- RAM KRISHNA PATH, NORTH S.K.PURI,
THANA-KRISHNAPURI, P.O.-PATLIPUTRA, PATNA.
2. सरचना अभियंता—VIJAY KUMAR, निबंधन सं०—BR/UDHD/SE/23-007
पटना नगर निगम।
3. वास्तुविद—MANOJ KUMAR, निबंधन सं०—CA/2002/29414
पटना नगर निगम।

विषय :- प्लॉन केस सं०—P/JAKARIYAPUR/PCN-1B+G+6/231/2023 ऑटो गैप आवेदन संख्या—PMC-BPAS-02111/2023/BP के निबंधित वास्तुविद/सरचना अभियंता/अभियंता के द्वारा (अतिरिक्त गू-पट्टी—170.21 वर्ग मीटर) गू-पट्टी छोड़कर स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्माण करवाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक के अनुपालन में सूचित करना है कि भू-स्वामी/भवन निर्माणकर्ता के द्वारा Construction के दौरान (अतिरिक्त गू-पट्टी—170.21 वर्ग मीटर) भू-पट्टी छोड़ कर ही निर्माण करेंगे एवं इस आशय की लिखित सूचना विभाग को देंगे, साथ ही कार्य प्रारंभ करने की सूचना भवन उपविधि 2014 के Form-X (Form of Notice for Commencement of Work) BYE LAWS No.- 8 (6) (F), 10 के अनुरूप समर्पित की जाय।

अतः निबंधित वास्तुविद/सरचना अभियंता/अभियंता ये सुनिश्चित करेंगे कि Construction के दौरान (अतिरिक्त गू-पट्टी—170.21 वर्ग मीटर) भू-पट्टी छोड़कर ही निर्माण किया जा रहा है। भवन उपविधि के अनुसार Form-V में दिये गये प्रावधानों को लागू करना सुनिश्चित करेंगे तथा भवन उपविधि—14 एवं महायोजना 2031 के उल्लंघन में आवेदक तथा निबंधित वास्तुविद/सरचना अभियंता/अभियंता किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे एवं भवन उपविधि 2014 के कंडिका 13(2) के अनुसार आवधिक प्रतिवेदन लिखित तौर पर प्रपत्र—ग में जमा करना संबंधित वास्तुविद/सरचना अभियंता/अभियंता के द्वारा आवश्यक होगा। साथ ही निर्माण के समय अधोहस्ताक्षरी तथा संबंधित प्रारूपक/कनीय अभियंता से समय-समय पर सगन्ध रथापित कर स्थल दिखाना आवेदक तथा वास्तुविद/सरचना अभियंता/अभियंता की जिम्मेवारी होगी। किसी भी प्रकार की भवन उपविधि में लापरवाही/उल्लंघन के लिये आवेदक एवं निबंधित वास्तुविद/सरचना अभियंता/अभियंता जिम्मेवार होंगे और विधि समत प्रशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे।

कृपया इसे अति महत्वपूर्ण समझा जाय।

विश्वराज

18/03/24

निर्देशक,

शहरी योजना,

पटना नगर निगम, पटना।

M/s AWADH DEVELOPERS

made

PARTNER